न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 09/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.हरिराम पुत्र लीलाराम ग्राम सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2.हरकेश पुत्र लीलाराम ग्राम सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

3.सन्तोष पुत्र लीलाराम ग्राम सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

4. अशोक पुत्र लीलाराम ग्राम सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्राथीगर्ण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस जवाब दिनांक 24.08.2021 को पेश किया गया जिसमें ख0न0 1249 रकबा 57.64 किस्म गैर मु0 पहाड चारागाह में से 0.30 हे0 को रेगुलाईज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य सबूत हेतु समय मांगा गया जो दिनांक 08.09.2021 को पेश करने हेतु समय दिया गया किन्तु अप्रार्थीगण आज दिनांक 08.09.2021 को अनुपस्थित रहा, अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूंकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुररे के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरा बोकर व पक्का डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः– अतिक्रमी हरिराम, हरकेश, सन्तोष एवं अशोक पुत्रान लीलाराम मीना निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख0न0 1251 रकबा 0.30 हे0 किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.60 की 50 गुणा में मु0 30.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी एवं फसल नीलामी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर एवं फसल कब्जे राज को नीलामी कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. म. 4 वर्ष 2021-22
पृष्ट संख्या 11 प.र. चा. पैं. 30/-
राशि कायम करे गये।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर